# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal223RTA-Jodhpur2023-094(GCMS2023-216)

1. थानाराम पुत्र गुणेशराम जाति-जाट,
2. खेताराम पुत्र गुणेशराम जाति जाट
3. कैलाश पुत्र रामसुख जाति जाट
4. परमुदेवी पत्नी रामसुख जाति जाट
5. धापूदेवी पुत्री रामसुख जाति जाट

सभी निवासीगण रामनगर सालवां कला तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

**ब**

**ना**

**म**

1. जबरसिंह पुत्र भूरसिंह
2. जसोदाकंवर पत्नी जोरसिंह
3. रतनसिंह पुत्र जोरसिंह
4. ओमाकंवर पुत्री जोरसिंह
5. प्रकाश कंवर पुत्री जोरसिंह
6. मंजू पत्नी प्रतापसिंह पुत्रवधू जोरसिंह
7. सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह पौत्र जोरसिंह
8. निरमाकंवर पुत्री प्रतापसिंह पौत्री जोरसिंह
9. गणेश कंवर पुत्री प्रतापसिंह पौत्री जोरसिंह
10. पिंकी कंवर पुत्री प्रतापसिंह पौत्री जोरसिंह
11. पूनमकंवर पुत्री प्रतापसिंह पौत्री जोरसिंह
12. मदनसिंह पुत्र भूरसिंह
13. अनोपसिंह पुत्र भूरसिंह
14. हडमानसिंह पुत्र सुमेरसिंह
15. रामसिंह पुत्र सुमेरसिंह
16. (भगवानसिंह पुत्र सुमेरसिंह फौत हो जाने से नाम तक)
17. कालूकंवर पत्नी भगवानसिंह
18. रविन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह (अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कालूकंवर पत्नी भगवानसिंह)
19. महिपालसिंह पुत्र भगवानसिंह (अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कालूकंवर पत्नी भगवानसिंह)
20. समदर कवंर पत्नी सुमेरसिंह
21. उम्मेदसिंह पुत्र चेनसिंह
22. गुलाब कंवर पत्नी चेनसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

23. सुमेरसिंह पुत्र गुमानसिंह
सभी जातियान् राजपूत,
निवासीगण- रामनगर सालवां कला
तहसील व जिला जोधपुर।
24. तहसीलदार, तहसील कार्यालय जोधपुर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 जून 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 जबरसिंह व अन्य बनाम हडमानसिंह इत्यादि**

---

**उपस्थित-**
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अजीत दैया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13
श्री जी.आर.गोरा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 23
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 24
रेस्पो. संख्या 1 से 12 व 14 से 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित

# नि र्ण य

**दिनांक : 02 अगस्त 2023**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2015 (जीसीएमएस 2015/00099) जबरसिंह व अन्य बनाम हडमानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 जून 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट-प्रार्थीगण जबरसिंह आदि ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 741, 742, 743, एवं 744 में आने-जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हेतु रेस्पोडेंट-अप्रार्थीगण हडमानसिंह आदि के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 745 एवं 779/1 में से प्रार्थनापत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार बिन्दु ए सें बी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 फरवरी 2023 के जरिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना उनकी खातेदारी खेत खसरा संख्या 746/4 एवं 746/5 में से रास्ते के आदेश पारित कर दिये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 08 फरवरी 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा225 के तहत प्रस्तुत अपील दिनांक 06 अप्रेल 2023 को निस्तारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया, तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थनापत्र में पुनः कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 जून 2023 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर ने प्रार्थीगण-रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर उसके नजरी नक्शों में दर्शाये अनुसार आराजी खसरा नं. 745 व 779/1 में से बिन्दु ए से बी रास्ते की मांग थी एवं इन्हीं खसरो में से कदीमी रास्ता होना जाहिर किया है, अर्थात प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा न तो अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 746/4 व 746/5 में से रास्ता मांगा गया और न ही अपीलाण्ट्स को प्रार्थनापत्र में पक्षकार कायम किया गया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यों पर आधारित मौका फर्द को आधार बना कर अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 746/4 व 746/5 में से रास्ता देते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश दिनांक 08 फरवरी 2023 पारित कर दिया गया जिसके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 44/2023 निस्तारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित किया जाकर मौके पर उपलब्ध समस्त वैकल्पिक रास्तों बाबत पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तलब की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद प्रकरण का दो माह की अवधि में पुनः निस्तारण किया जावे। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी, किन्तु अपीलाण्ट्स को प्रकरण में अपना जबाब, साक्ष्य सबूत एवं मौका रिपोर्ट बाबत उज्र एतराज का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। मौका रिपोर्ट भी अपीलाण्ट्स की उपस्थिति में तैयार नहीं करायी गयी जिसमें अन्य वैकल्पिक रास्तों बाबत भी कोई जांच नहीं की गयी है और न ही तुलनात्मक वैकल्पिक रास्ते का कोई वर्णन किया गया है और मनमर्जी से अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के जबाब का अवसर पहली पेशी पर ही बंद कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय में प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित होने एवं अपीलाधीन आदेश निर्धारित विधिक प्रकिया एवं अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही पारित किये जाने के कारण अपास्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 13 ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रदान किया गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं। अपीलाण्ट्स को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, मगर कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया, अतः उनके जबाब का अवसर बन्द किया गया। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 23 ने अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की उपरोक्त बहस का समर्थन किया एवं वांछित अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या 24 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम सालवांकलां स्थित आराजी खसरा नं. 741, 742, 743, एवं 744 के खातेदारान प्रार्थीगण-रेस्पो. जबरसिंह, जोरसिंह, मदनसिंह व अनोपसिंह पिसरान भूरसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जालेली से रामनगर मुडिया रास्ता से अपनी खातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शें में बिन्दु "ए" से बिन्दु "बी" रास्ता आराजी खसरा संख्या 745 एवं खसरा संख्या 779/1 में से मांगा। उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08 फरवरी 2023 के द्वारा प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 745 के मध्य से खसरा संख्या 756/4 व 746/4 खसरा संख्या 746/5 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे रास्ता घोषित किया गया। मगर उक्त आदेश पारित करने के पूर्व खसरा संख्या 756/4 व 746/4 खसरा संख्या 746/5 को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया और अन्य अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र में वर्णित वैकल्पिक रास्ते बाबत भी विवेचन नहीं किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन परिस्थितियों में उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट थानाराम की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 44/2023 निस्तारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड कर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित किया जाकर मौके पर उपलब्ध समस्त वैकल्पिक रास्तों बाबत पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तलब की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद प्रकरण का दो माह की अवधि में पुनः निस्तारण किया जावे। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा मामले में दिनांक 16 मई 2023 को अदालत हाजा के उपरोक्त निर्णय के संदर्भ से पुन कार्यवाही आरम्भ की गयी। उक्त कार्यवाही के दौरान प्रार्थी जोरसिंह का देहान्त हो जाने पर उसके कायममुकामान को अभिलेख पर लिया गया। दिनांक 30 मई 2023 को अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने विचारण न्यायालय में वकालतनामा पेश किया। जिन्हें प्रार्थनापत्र की प्रति उपलब्ध करायी जाकर आगे पेशी दिनांक 01 जून 2023 मुकर्रर की गयी। दिनांक 01 जून 2023 की आदेशिकानुसार विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देशो के अनुसरण में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी एवं आगामी पेशी दिनांक 12 जून 2023 मुकर्रर की गयी। साथ ही इसी आदेशिका में अलग स्याही से अप्रार्थीगण संख्या 8 से 12 (अपीलाण्ट्स) का जबाब का अवसर बंद किया जाना एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाया जाना अंकित किया गया। इसके बाद प्रार्थीगण-रेस्पो. की ओर से दिनांक 09 जून 2023 को प्रस्तुत "प्रार्थनापत्र वास्ते प्रकरण में निर्णय पारित कर शीघ्र निस्तारण करने बाबत" के आधार पर उक्त निर्धारित पेशी 12 जून 2023 के पूर्व ही आदेशिका दिनांक 09 जून 2023 में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होना जाहिर करते हुए "... तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पत्रावली का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अध्ययन किया गया, निर्णय से पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया .." अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाया जाता है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 745 एवं खसरा संख्या 779/1 में से मांगा गया, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट तलब करते हुए जारी पत्र कमांक न्यायालय/2023/117 दिनांक 06 जून 2023 प्रार्थी की कृषि भूमि तक आवागमन हेतु मौजा ग्राम सालवा कलां के खसरा संख्या 745 व 746/4, 746/5 की बीच की माठ पर से प्रार्थी द्वारा 12 फीट चौडा रास्ता चाहा जाना अंकित किया गया है और तदनुसार रिपोर्ट तलब की गयी है। जिसके अनुसरण में मौका फर्द दिनांक 08 जून 2023 विचारण न्यायालय में पेश हुई।

उक्त मौका फर्द एवं पूर्व में प्रस्तुत मौका फर्द(विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 55) एवं इनमें दर्शाये गये नजरी नक्शों के अनुसार जालेली से रामनगर मुडिया रास्ता से प्रार्थीगण-रेस्पो की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 741, 742, 743, एवं 744 तक आवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 746/4 तथा 746/5 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे होकर खसरा संख्या 745 की बीच की माठ होते हेतु प्रस्तावित किया गया है और इसकी तुलनात्मक लम्बाई न्यूनतम दर्शायी गयी है। किन्तु उल्लेखनीय है कि

1. अव्वल तो प्रार्थीगण-रेस्पो. ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र में खसरा संख्या 746/4 तथा 746/5 में से न तो कोई रास्ता होना अंकित किया गया है और न ही कोई रास्ता इन खसरा संख्या 746/4 तथा 746/5 में से चाहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया, अपितु प्रार्थनापत्र में रास्ता खसरा संख्या 779/1 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे होते हुए खसरा संख्या 745 में से चाहा गया है।

2. द्वितीय, खसरा संख्या 746/4 तथा 746/5 की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे जो रास्ता अपीलाधीन आदेश के जरिये दिया गया है, वह रास्ता इन दोनों खसरों की सीमा समाप्ति पर खसरा संख्या 745 आरम्भ होने के बिन्दु पर विकट मोड (जिसके कारण रास्ते की लम्बाई में भी वृद्धि होती है) युक्त रहता है, जिसका उपयोग-उपभोग भी असुविधाजनक है, जबकि खसरा संख्या 779/1 की पश्चिमी दिशा के सहारे-सहारे होते हुए खसरा संख्या 745 की मध्य मेड से मांगा गया रास्ता एकदम सरल-रेखीय एवं अपेक्षाकृत सुविधाजनक एवं कम लम्बाई का होना पाया जाता है।

चूंकि प्रकरण पूर्व में भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्धारिक विधिक प्रकिया की पालना किये बिना एवं समुचित गम्भीरता बरते बिना ही (संबंधित खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना तथा बिना किसी याचना के खसरा संख्या 746/4 तथा 746/5 में रास्ता देते हुए) आदेश दिनांक 08 फरवरी 2023 पारित किये जाने पर प्रस्तुत अपील निस्तारित करते हुए दिनांक 6 अप्रेल 2023 को प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जा चुका है। इसके उपरान्त भी पुनः विचारण न्यायालय द्वारा मामले में रास्ते हेतु याचित खसरा नम्बर विलोपित करते हुए अयाचित खसरा नम्बरान बाबत मौका रिपोर्ट तलब करते हुए तथा अपीलाण्ट्स को प्रार्थनापत्र के जबाब व साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान को अकारण असुविधा होने के साथ साथ उनके मध्य अनावश्यक तनाव एवं वादकरण में वृद्धि हुई है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समुचित अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 जून 2023 संशोधित करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. को उनके प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में याचित अनुतोष के अनुरूप जालेली से रामनगर मुडिया रास्ता से प्रार्थीगण-रेस्पो की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 741, 742, 743, एवं 744 तक आवागमन हेतु 12 फीट चौडाई का रास्ता खसरा संख्या 779/1 की पश्चिमी दिशा के सहारे-सहारे होते हुए खसरा संख्या 745 की मध्य मेड से घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिया जाता है कि रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना कर वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. रेट से दोगुना की दर से प्रतिकर राशि जरिये चैक/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 13 से प्राप्त कर अप्रार्थीगण-रेस्पो. (खसरा संख्या 779/1 व खसरा संख्या 745 के राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदारान) के बैंक खातों अथवा आवश्यक हो तो राजकोष में जमा करायी जाकर रास्ते की भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए राजस्व नक्शें में तरमीम की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.08.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तामील में जा हुए |
|---|---|---|
| 03 अगस्त 2023 | मूल अपील में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 अगस्त 2023 में सद्भाविक टंकण संबंधित रही त्रुटि की संबंध में जानकारी होने पर पत्रावली आज सुओ मोटो कार्यवाही हेतु पेश हुई। मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 02 अगस्त 2023 का अवलोकन करने पर विदित होता है कि निर्णय में पेज संख्या 5 में उपर से पंक्ति संख्या 21 से 23 में खसरा संख्या 746/4 की बजाय खसरा संख्या 756/4 सद्भाविक भूल से अंकित हो गया है।<br><br>अतः उक्त सद्भाविक टंकण की भूल का सुओमोटो परिमार्जन करते हुए आदेश दिया जाता है कि आलौच्य अपील संख्या 2023-094 (जीसीएमएस संख्या 2023-216) थानाराम व अन्य बनाम जबरसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02 अगस्त 2023 के पृष्ठ संख्या 5 पर उपर से पंक्ति संख्या 21 तथा 23 में अंकित खसरा संख्या 756/4 की बजाय लाल स्याही से खसरा संख्या 746/4 अंकित किया जावे।<br><br>इस आदेशिका को उक्त निर्णय दिनांक 02 अगस्त 2023 का अभिन्न अंगशुमार किया जावे।<br><br>03.08.2023<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जोधपुर | |